निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 16

27 चैत्र 1941 (श0)
पटना, बुधवार,
17 अप्रील 2019 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-9
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	10-15

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना
28 मार्च 2019

सं0 02/चा० (भा०व०से०)–01/2017–1019/प०व०––अखिल भारतीय सेवायें (कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन) नियमावली, 2007 के नियम–9(8)(a) के प्रावधानों के तहत राज्य में पदस्थापित भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित अभ्युक्तियों के विरूद्ध प्रतिवेदित पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन पर संबंधित प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकारों के मंतव्य के आलोक में सम्यक रूप से विचारोपरांत अंतिम निर्णय लेने हेतु रेफरल बोर्ड (Referral Board) का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1.	मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना	संयोजक
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
4.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना	सदस्य

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना
29 मार्च 2019

सं0 ग्रा0वि0-14(नि0को0)मधेपुरा-47/2017-418755/ग्रा0वि0––श्री दिवाकर कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर प्रखंड मधेपुरा, सम्प्रति निलम्बित को विभागीय अधिसूचना संख्या-370563 दिनांक 22.05.2018 द्वारा दिनांक 15.03.2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया है एवं निलम्बन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना निर्धारित है ।

पूर्वदिश में संशोधन करते हुए श्री कुमार के निलम्बन अवधि का मुख्यालय, प्रखंड कार्यालय, फुलवारीशरीफ निर्धारित किया जाता है।

विभागीय अधिसूचना संख्या-370563 दिनांक 22.05.2018 की शेष शर्तें पूर्ववत रहेगी।

उक्त आदेश पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राधा किशोर झा, संयुक्त सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं
18 मार्च 2019

सं0 7/शक्ति प्र0–13–01/2018 सा0प्र0 **3716**––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

अनुसूची

क्र0 स0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि / अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक / कार्यपालक)	जिला का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के पत्रांक–31–1 दिनांक 09.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	10.03.2019	पंचायती उप निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	सहरसा
2	जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0), खगड़िया के पत्रांक–33 दिनांक 08. 03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए	पंचायती उप निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	खगड़िया
3	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–07 दिनांक 09. 03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	10.03.2019	पंचायती उप निर्वाचन, 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	मुंगेर
4	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0)–सह–जिलाधिकारी, कटिहार के पत्रांक–26 दिनांक 08.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए	पंचायती उप निर्वाचन, 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	कटिहार
5	जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक–243 दिनांक 10.01.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	01.01.2019 से 31.12. 2019 तक	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	नालन्दा
6	जिलाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक–434 दिनांक 06.03.2019 में अंकित पदाधिकारियों– 1. डॉ0 रविन्द्र नाथ, नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा। 2. श्री विरेन्द्र प्रसाद, अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा। 3. डॉ0 कारी प्रसाद महतो, उप विकास आयुक्त, दरभंगा।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	एक वर्ष के लिए	लोक सभा निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	दरभंगा

7	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक–13 दिनांक 05.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए	पंचायती उप निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	जमुई
8	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक–151 दिनांक 06.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	10.03.2019	पंचायती उप निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	कैमूर (भभुआ)
9	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक–103 दिनांक 21.01.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	31.12.2019 तक	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	सीतामढ़ी
10	जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–678 दिनांक 06.02.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	01.01.2019 से 31.12.2019 तक	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	समस्तीपुर

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

---

27 मार्च 2019

सं0 7/शक्ति प्र0–13–01/2018 सा0प्र0 **4137**––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

अनुसूची

क्र0 स0	**कार्मिक का नाम एवं पद नाम**	**द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है**	**तिथि/अवधि**	**प्रयोजन**	**दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/कार्यपालक)**	**जिला का नाम**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) –सह– जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–18 दिनांक 06.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	10.03.2019	पंचायत उप निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	भागलपुर

2	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–84 दिनांक 13.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	समस्तीपुर
3	जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–292 दिनांक 14.03.2019 में अंकित श्री दिवाकर कुमार, श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी, महाराजगंज।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	कार्यपालक दंडाधिकारी की पदस्थापना होने तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	सिवान
4	जिलाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक–481 दिनांक 13.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	अगले 6 महीने के लिए	लोक सभा चुनाव 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	दरभंगा

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

———

27 मार्च 2019

सं0 7/शक्ति प्र0–13–01/2018 सा0प्र0 **4597––**दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

अनुसूची

क्र0 स0	**कार्मिक का नाम एवं पद नाम**	**द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है**	**तिथि/अवधि**	**प्रयोजन**	**दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/कार्यपालक)**	**जिला का नाम**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के ज्ञापांक–1470 दिनांक 28.03.2019 में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	पदस्थापन अवधि तक	न्यायालय संबंधी कार्य	कार्यपालक दंडाधिकारी	औरंगाबाद
2	जिला निर्वाचन पदधिकारी (पं0)–सह–जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–29 दिनांक 08.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	पंचायन उप निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	औरंगाबाद

3	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक–709 दिनांक 27.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	पदस्थापन अवधि तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 तथा विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	नवादा
4	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, सुपौल के पत्रांक–35 दिनांक 09.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	10.03.2019	पंचायन उप निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	सुपौल
5	जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–1119 दिनांक 14.03.2019 में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	गया
6	जिलाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक–525 दिनांक 20.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	दरभंगा
7	जिलाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक–830 दिनांक 22.03.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–21	01.04.2019 से 30.09.2019 तक	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	मधेपुरा
8	जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक–303 दिनांक 11.03.2019 में अंकित कार्मिक।	द0प्र0सं0 1973 की धारा–20	पदस्थापन अवधि तक	विधि व्यवस्था	कार्यपालक दंडाधिकारी	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

11 अप्रील 2019

सं0 2/आ0–70–13/2018 गृ0आ0–3100––श्री सैयद अफसर हाशमी, पुलिस उपाधीक्षक, (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना सं0–5070 दिनांक 08.06.2018 द्वारा निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक कार्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना निर्धारित किया गया। श्री हाशमी ने इस निलंबन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–20240/2018 दायर किया था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने इस वाद में दिनांक 08.01.2019 को आदेश पारित करते हुए निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–20240/2018 में दिनांक 08.01.2019 को पारित आदेश के आलोक में श्री सैयद अफसर हाशमी, पुलिस उपाधीक्षक, सम्प्रति निलंबित मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

3. निलंबन से मुक्त होने के पश्चात् वे अपना योगदान पुलिस मुख्यालय में करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा, संयुक्त सचिव।

जल संसाधन विभाग

आदेश

24 जनवरी 2019

सं0 बाढ़(मो0)सिं0-42/2004-अंश -276--बाढ़ 2019 के पूर्व राज्य की विभिन्न नदियों में व्यापक पैमाने पर राज्य योजना मद एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त निधि (प्राकृतिक विपत्ति से राहत) के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराया जाना है । वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कार्यो को ससमय पूरा किया जाना आवश्यक है ।

2. निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप कार्यो की समानुपातिक प्रगति की समीक्षा आवश्यक है । इसके लिए आवश्यक है कि कार्यो के कार्यान्वयन अवधि में इनका अनुवीक्षण क्षेत्र में जाकर किया जाए तथा मुख्यालय के पदाधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए ।

3. उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य के बाढ़ प्रक्षेत्र से संबंधित मुख्य अभियन्ता के प्रक्षेत्रों को नौ भागों में बॉटते हुए प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशेष जांच दल का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

विशेष जॉंच दल सं0	प्रक्षेत्र का नाम/विशेष जॉंच दल का	एजेण्डा की संख्या	प्रस्तावित अध्यक्ष का नाम
1	2	3	4
1	मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर	22	ई0 शैलेश कुमार सिंह सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता
2	मुख्य अभियन्ता, बीरपुर के अन्तर्गत कोशी बराज अंचल, वीरपुर	03	ई0 महेश प्रसाद ठाकुर सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता
3	मुख्य अभियन्ता, बीरपुर के अन्तर्गत पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा	17	ई0 सहजानन्द सिंह सेवानिवृत अधीक्षण अभियन्ता
4	मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर	20	ई0 किशोर कुमार, सेवानिवृत अधीक्षण अभियन्ता
5	मुख्य अभियन्ता, गोपालगंज	09	ई0 अब्दूल हमीद, सेवानिवृत अधीक्षण अभियन्ता
6	मुख्य अभियन्ता, कटिहार के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण अंचल, भागलपुर	11	ई0 उमा शंकर सिंह सेवानिवृत अभियन्ता प्रमुख
7	मुख्य अभियन्ता, कटिहार के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण अंचल, भागलपुर को छोड़कर सभी अंचल	09	ई0 प्रकाश चन्द्र, सेवानिवृत अधीक्षण अभियन्ता
8	मुख्य अभियन्ता, पटना के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पटना एवं बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, बिहारशरीफ	20	ई0 सुर्दशन राय, सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता

9	मुख्य अभियन्ता, पटना/डिहरी के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण अंचल, बक्सर एवं सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी	06	ई0 सागर प्रसाद सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता

4. विशेष जाँच दल को निम्नांकित दायित्व होगा:-

(क) विभिन्न स्थलों पर कटाव निरोधक/ निवृत रेखा का निर्माण/ग्राम एवं शहर सुरक्षात्मक/गैप क्लोजर/बाँध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो का स्थल निरीक्षण एवं इसकी प्रगति की समीक्षा ।

(ख) निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कार्यो की प्रगति एवं बाढ़ सुरक्षात्मक सामग्रियों के भंडारण की स्थिति की समीक्षा।

(ग) यदि कार्यो की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नही हो रही हो तो उनके कारणों की जांच कर प्रतिवेदन मुख्यालय को देगें ।

(घ) विशेष जांच दल कार्य की प्रगति में आनेवाले अड़चनों के समाधान हेतु संबंधित मुख्य अभियन्ता एवं संबंधित पदाधिकारियों से विचार-विमर्श कर विभाग को अपना प्रतिवेदन भेजेंगे।

(ड़) विशेष जाँच दल प्रत्येक स्थल निरीक्षण के समय कार्य का फोटोग्राफी कराकर मुख्यालय को समर्पित करेगें।

(च) विशेष जाँच दल द्वारा क्षेत्रीय अभियन्ताओं को सामान्यत: कोई सुझाव अथवा अन्य कोई कार्रवाई करने हेतु निदेश नही दिया जायेगा ।

(छ) विशेष जांच दल द्वारा प्रत्येक दौरे के बाद मुख्यालय में प्रतिवेदन समर्पित करना है । स्थल से संबंधित मोनिटर जाँच दल के साथ प्रतिवेदन की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार विभागीय सचिव/ मंत्री को स्थिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर अवगत करायेगें । आवश्यकतानुसार संबंधित मुख्य अभियन्ताओं को फैक्स/दूरभाष एवं पत्र के माध्यम से आवश्यक निदेश विभाग द्वारा दिया जायेगा ।

(ज) प्रतिवेदन निम्नांकित वर्णित दौरो के तीन दिनों के अन्दर समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

अनुवीक्षण दलों का स्थल भ्रमण कार्यक्रम		
दौरा संख्या	निरीक्षण की तिथि	प्रतिवेदन समर्पण की तिथि
प्रथम	31.01.2019 से 04.02.2019	07.02.2019
द्वितीय	25.02.2019 से 01.03.2019	04.03.2019
तृतीय	18.03.2019 से 22.03.2019	25.03.2019
चतुर्थ	20.04.2019 से 24.04.2019	27.04.2019
पंचम	20.05.2019 से 24.05.2019	27.05.2019

5. कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता जाँच दल के द्वारा निरीक्षण के क्रम में स्थल पर मौजूद रहेगें तथा स्थल आदेश पंजी भी स्थल पर अवश्य रखेंगें । कार्यपालक अभियन्ता यह सुनिश्चित करेगें कि जांच दल का भ्रमण प्रारंभ होने की तिथि तक सभी कराये गये कार्यो की मापी, मापीपुस्तिका में निश्चित रूप से अंकित कर लिया जाय । स्थल निरीक्षण पंजी पर दल के प्रधान का हस्ताक्षर अवश्य प्राप्त किया जाय । ऐसा नही करने पर संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

6. अध्यक्ष, विशेष जांच दल के साथ समन्वय पदाधिकारी के रूप में संबंधित परिक्षेत्र के मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्यपालक अभियन्ता स्तर के एक पदाधिकारी को मनोनित किया जायेगा ।

7. प्रत्येक जांच दल के लिए एक सेवानिवृत अभियन्ता प्रमुख/मुख्य अभियन्ता/वरीय अधीक्षण अभियन्ता स्तर के पदाधिकारी को दल के अध्यक्ष के रूप में मनोनित किया गया है । इन मनोनित सेवानिवृत अभियन्ता प्रमुख/मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं के प्रत्येक दौरा के लिए मानदेय के रूप में पूर्व के वर्षो की भांति रू0 4000.00 (चार हजार) रूपये मात्र भुगतान किया जायेगा । अध्यक्ष को उनके निवास स्थान से स्थल तक भ्रमण/ठहराव एवं सामान्य आवासन की व्यवस्था सरकारी खर्च पर संबंधित मुख्य अभियन्ता अपने परिक्षेत्रान्तर्गत किसी प्रमंडल से कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें ।

8. राज्य योजना की योजनाओं के अनुवीक्षण के मद में माननदेय भुगतान का व्यय, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष 2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास उप मुख्य शीर्ष-01 बाढ़ नियंत्रण लघु शीर्ष-001 निदेशन और प्रशासन मांग संख्या-49 उप शीर्ष-0002-क्षेत्रीय संस्थापना में विकलित होगा । यह व्यय कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-2, पटना द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध के अन्तर्गत आवंटित राशि से होगा ।

9. मानदेय का भुगतान विभाग द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में गंगा सोन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दीघा (मुख्य अभियन्ता, पटना के परिक्षेत्राधीन) द्वारा उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत किया जायेगा ।

10. प्रत्येक जांच दल के निर्धारित कार्य का पूर्ण परिवेक्षण दौरा सामान्यत: एक दौरा माना जायेगा एवं आवश्यकतानुसार विभागीय निर्देश पर इसमें परिवर्तन भी किया जा सकेगा ।

11. यह पूरक व्यवस्था है तथा इससे क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता एवं सभी क्षेत्रीय अभियन्ताओं का मूल दायित्व यथावत् रहेगा ।

आदेश से,
संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, प्रबंधन।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 4–571+10-डी0टी0पी0।
Website : http : //egazette . bih . nic . in

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 बाढ़(मो0)सिं0-42/2004-अंश-275

जल संसाधन विभाग

संकल्प

24 जनवरी 2019

विषय:- केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो के अनुवीक्षण एवं गुणवत्ता की समीक्षा हेतु विशेष जांच दल का गठन ।

राज्य की विभिन्न नदियों पर केन्द्रीय सहायता से बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत व्यापक पैमाने पर कटाव निरोधक/ बाढ़ सुरक्षात्मक/ गैप क्लोजर/ ग्राम एवं शहर सुरक्षात्मक/तटबंध उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/ निर्माण कार्य कार्यान्वित कराये जा रहे है । बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन के विरूद्व योजना राशि का 50 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत अथवा शत प्रतिशत किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त होना है ।

2. बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो की उपयोगिता मुख्यत: बाढ़ के पूर्व ससमय सही ढंग से कार्यान्वयन पर निर्भर करती है । अत: यह आवश्यक हो जाता है कि इन कार्यो की गुणवत्ता अच्छी हो तथा वे निर्धारित अवधि के अन्दर/ पूर्व अवश्य पूर्ण कर लिया जाएँ ।

3. कार्यो की गुणवत्ता एंव विशिष्टि को बनाए रखने के साथ-साथ निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप कार्यो की समानुपातिक प्रगति की समीक्षा आवश्यक है । इसके लिए आवश्यक है कि कार्यो के कार्यान्वयन अवधि में इनका अनुवीक्षण क्षेत्र में जाकर किया जाए तथा विभाग के पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए ।

4. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वयन कराई जा रही योजना के विरूद्व केन्द्रीय सहायता विमुक्ति हेतु यह आवश्यक है कि योजनाओं का Concurrent evaluation विभिन्न चरणों में किया जाय ताकि इनके गुणवत्ता एंव विशिष्टि पर नियंत्रण रखा जा सके । तत्संबंधित प्रतिवेदन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार को समर्पित किया जाना है ।

5. उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य के बाढ़ प्रबोधन से संबंधित मुख्य अभियन्ता के प्रक्षेत्रों को छ: भागों में बॉटते हुए प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशेष जांच दल का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

विशेष जांच दल सं0	प्रक्षेत्र का नाम	अध्यक्ष	समन्वय पदाधिकारी
1	मुख्य अभियन्ता, पटना	ई0 अबुल हयात, सेवानिवृत अभियंता प्रमुख	संबंधित परिक्षेत्र के मुख्य अभियन्ता द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक अभियन्ता स्तर के पदाधिकारी
2	मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर	ई0 किशोर कुमार, सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता	
3	मुख्य अभियन्ता, गोपालगंज	ई0 अब्दुल हमीद, सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता	

4	मुख्य अभियन्ता, बीरपुर	ई0 महेश प्रसाद ठाकुर, सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता	
5	मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर	ई0 सुरेन्द्र मिश्रा, सेवानिवृत अधीक्षण अभियन्ता	
6	मुख्य अभियन्ता, कटिहार	ई0 उमा शंकर सिंह, सेवानिवृत अभियंता प्रमुख	

6. विशेष जांच दल के लिए निम्नांकित दायित्व होगें:-

(क) विभिन्न स्थलों पर कटाव निरोधक/निवृत रेखा/ग्राम एवं शहर सुरक्षात्मक/ गैप एवं सुदृढ़ीकरण/ निर्माण आदि बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो की गुणवत्ता एवं विशिष्टि की समीक्षा ।

(ख) निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कार्यो की प्रगति एंव बाढ़ सुरक्षात्मक सामग्रियों की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा ।

(ग) यदि कार्यो की प्रगति एवं सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नही हो रही हो तो उनके कारणों की जांच कर इसे दूर करने का सुझाव देगी । सुझाव के बाद भी क्रियान्वयन/ अनुपालन नही होता है तो दायित्व का निर्धारण करेगें ।

(घ) कार्य स्थल पर लगाये जा रहे सामग्रियों यथा ई.सी.बैग, नायलन क्रेट, बी.ए. वायर एवं जियों टेक्सटाइल्स फैब्रिक फिल्टर की विशिष्टि जांच कर विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से उल्लेख करना।

(ड़) विशेष जांच दल प्रगति में आनेवाले अड़चनों के समाधान हेतु संबंधित मुख्य अभियन्ता उनके अधीनस्थ पदाधिकारी/प्रमंडल पदाधिकारी से विचार-विमर्श कर यथासंभव इसका समाधान करेगें । साथ ही साथ जांच दल सरकार का भी ध्यान अपने प्रतिवेदनों के माध्यम से आवश्यक सुझाव देते हुए आकृष्ट करेंगे।

(च) विशेष जांच दल, निरीक्षण तिथि तक केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित कराई जा रही योजनाओं का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे तथा इसकी प्रति गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को भी देंगे । विशेष रूप से प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति, मापी की विहित प्रक्रियानुसार कार्यपालक अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता द्वारा जांच एवं किये गये कार्यो के नियमानुसार भुगतान की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी जांच दल देगें ।

(छ) विशेष जांच दल प्रत्येक स्थल निरीक्षण के समय कार्य का फोटोग्राफी, गुण नियंत्रण संबंधी सैम्पल टेस्ट प्रतिवेदन भी समर्पित करेगें ।

(च) विशेष जांच दल से अनुमोदित रेखांकण पर कार्य प्रारंभ किये जायेगें, साथ ही साथ अधिकतम कटाव प्रभावी लंबाई का निर्धारण जांच दल की देख-रेख में किया जायेगा ।

अनुवीक्षण दलों का स्थल भ्रमण कार्यक्रम

दौरा संख्या	निरीक्षण अवधि	प्रतिवेदन समर्पिण की तिथि
प्रथम्	25.01.2019 से 29.01.2019	05.02.2019
द्वितीय	19.02.2019 से 23.02.2019	26.02.2019
तृतीय	19.03.2019 से 23.03.2019	27.03.2019
चतुर्थ	17.04.2019 से 21.04.2019	25.04.2019
पंचम्	14.05.2019 से 18.05.2019	21.05.2019
षष्ठम्	11.06.2019 से 15.06.2019	18.06.2019

7. वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित सुरक्षात्मक कार्यो की सूची संबंधित मुख्य अभियन्ता अध्यक्ष, विशेष जाँच दल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

8. उपरोक्त अनुवीक्षण एवं निरीक्षण का अर्थ यह नही है कि कार्य क्षेत्र से संबंधित मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता की जिम्मेवारी में कोई कमी होगी । क्षेत्रीय पदाधिकारी नियमानुसार अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक स्थल का निरीक्षण कर कार्यरत पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करेगें। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति अभियंता प्रमुख एवं अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को निश्चित रूप से कार्यक्रम के अनुसार भेजा करेगें । प्रत्येक निरीक्षण के समय स्थल पंजी में निरीक्षण की तिथि तथा निदेश अवश्य अंकित किये जाय तथा टेस्ट चेक का परिणाम अंकित करते हुए लेंईग रजिस्टर पर जांच की प्रविष्टि अंकित की जाय ।

9. कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता स्थल पर मौजूद रहेगें तथा स्थल पंजी भी स्थल पर अवश्य रखेगें। कार्यपालक अभियन्ता यह सुनिश्चित करेगें कि जांच दल का भ्रमण प्रारंभ होने की तिथि तक सभी कराये गये कार्यो की मापी, मापी पुस्तिका में निश्चित रूप से अंकित कर लिया जाय, एवं आपूरित सामग्रियों के लिए कार्य स्थल पर संधारित पंजी को भी अद्यतन कर रखी जाय, तथा जांच दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । निरीक्षण पंजी पर दल के प्रधान का हस्ताक्षर अवश्य प्राप्त किया जाय । ऐसा नही करने पर संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

10. प्रत्येक जांच दल के लिए एक सेवा निवृत अभियन्ता प्रमुख/ मुख्य अभियन्ता/ वरीय अधीक्षण अभियन्ता को दल के अध्यक्ष के रूप में मनोनित किया गया है । इन मनोनित सेवानिवृत अभियन्ता प्रमुख/ मुख्य अभियन्ताओं/ अधीक्षण अभियन्ताओं को प्रत्येक दौरा के लिए मानदेय के रूप में 4000.00 (चार हजार) रूपये मात्र भुगतान किया जायेगा । अध्यक्ष को उनके निवास स्थान से स्थल तक भ्रमण/ ठहराव एवं सामान्य आवासन की व्यवस्था सरकारी खर्च पर संबंधित मुख्य अभियन्ता, किसी प्रमंडल के माध्यम से कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें एवं इसकी सूचना मुख्यालय को भी देगें ।

11. मानदेय भुगतान संबंधित परिक्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित कराई जा रही योजना के o-misc में विकलित होगा । मानदेय भुगतान हेतु मुख्य अभियन्ता अपने स्तर से परिक्षेत्राधीन संबंधित कार्यपालक अभियनताओं को निदेशित करेगें ।

12. प्रत्येक निरीक्षण दल के निर्धारित कार्य का पूर्ण सर्वेक्षण दौरा सामान्यत: एक दौरा माना जायेगा एवं आवश्यकतानुसार विभागीय निदेश पर इसमें परिवर्तन भी किया जा सकेगा ।

यह आदेश तुरंत लागू होगा ।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जाय ।

आदेश से,

संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव (प्रबधन)।

सं0 08/आरोप-01-49/2014,सा०प्र०-4000

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

25 मार्च 2019

श्री रघुनन्दन झा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-617/08, तत्कालीन अंचलाधिकारी, पोठिया, किशनगंज के पदस्थापन काल में किशनगंज जिला में व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए सरकार के परिपत्र की गलत व्याख्या कर सरकारी निदेशों एवं नियमों के प्रतिकूल एक ही परिवार के कई व्यक्तियों सहित कुल 09 आवेदकों के साथ चाय की खेती के लिए सरकारी भूमि की लीज पर बन्दोवस्ती हेतु गलत अनुशंसा करने संबंधी आरोपों के लिए आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-218 (06) दिनांक 11.02.2006 द्वारा कार्रवाई हेतु आरोप प्रतिवेदित किया गया। उपर्युक्त आरोपों के लिए श्री झा से विभागीय पत्रांक-2654 दिनांक 23.03.2006 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर आयुक्त एवं सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से विभागीय पत्रांक-11234 दिनांक 07.11.2006 द्वारा मंतव्य की माँग की गयी। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-637 दिनांक 28.08.2009 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ। सम्यक् विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10669 दिनांक 29.10.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही

संचालित किया गया तथा आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। कालान्तर में संचालन पदाधिकारी आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक–418 दिनांक 17.02.2010 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–7035 दिनांक 21.07.2010 द्वारा संचालन पदाधिकारी को स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–2363 दिनांक 29.09.2010 द्वारा स्पष्ट मंतव्य प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री झा से विभागीय पत्रांक–6648 दिनांक 22.10.2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री झा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत श्री झा के विरूद्ध किशनगंज जिला में व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए सरकार के परिपत्र की गलत व्याख्या कर सरकारी निदेशों एवं नियमों के प्रतिकूल एक ही परिवार के कई व्यक्तियों सहित कुल 09 आवेदकों के साथ चाय की खेती के लिए सरकारी भूमि की लीज पर बन्दोवस्ती हेतु गलत अनुशंसा करने संबंधी आरोप प्रमाणित पाया गया।

2. तत्पश्चात उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर श्री झा के विरूद्ध **"अनिवार्य सेवानिवृत्ति"** का दंड विनिश्चित किया गया। विभागीय पत्रांक–19382 दिनांक 20.12.2013 द्वारा उक्त विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की माँग की गयी। आयोग के पत्रांक–2522 दिनांक 14.02.2014 द्वारा उक्त विनिश्चित दंड पर सहमति प्रदान की गयी। आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री रघुनन्दन झा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–617/08, तत्कालीन अंचलाधिकारी, पोठिया, किशनगंज के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2852 दिनांक 03.03.2014 द्वारा **अनिवार्य सेवानिवृति** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

3. उक्त विभागीय दंडादेश के विरूद्ध श्री झा ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं० 10098/2014 दायर किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2017 को पारित न्यायादेश में श्री झा के विरूद्ध अधिरोपित अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी दंड (विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2852 दिनांक 03.03.2014) को निरस्त कर दिया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"In view of the facts discussed aforesaid, the writ petition is allowed. The order dated 03-03-2014, as contained in Memo No 2852, Annexure 14 is set aside. The petitioner is directed to be reinstated in service with all consequential benefits."

4. उक्त न्यायादेश के विरूद्ध विभाग की ओर से मा० उच्च न्यायालय पटना में एल०पी०ए०सं०–245/2018 दायर किया गया, जिसे दिनांक 22.01.2019 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

5. रीट याचिका में पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने का आधार दर्शाते हुए वादी श्री रघुनन्दन झा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अवमाननावाद सं०–237/2018 दायर किया गया।

6. अतः सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०–10098/2014 में दिनांक 20.11.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं०–1093 दिनांक 20.11.2018 में विहित प्रक्रिया के तहत वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री रधुनन्दन झा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–617/08, तत्कालीन अंचलाधिकारी, पोठिया, किशनगंज के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–2852 दिनांक 03.03.2014 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड को वापस लेने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

7. तद्नुसार श्री झा के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–2852 दिनांक 03.03.2014 द्वारा अधिरोपित अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति को निरस्त करते हुए श्री रघुनन्दन झा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–617/08 को सेवा में पुनः स्थापित किया जाता है। श्री झा पदस्थापन की प्रतीक्षा में अपना योगदान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में देगें।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं0 08/01–55/2018 (छाया सं०)सा०प्र०–4522
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
2 अप्रील 2019

श्री उपेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक–846/2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरौनी, बेगूसराय के विरूद्ध इन्दिरा आवास आवंटन में बरती गयी अनियमितता से संबंधी आरोप, प्रपत्र 'क' जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के ज्ञापांक–3723 दिनांक 23.10.2006 द्वारा उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न करते हुए जिला पदाधिकारी,

बेगूसराय/ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से उनके स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से प्राप्त मंतव्य के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–6468 दिनांक 18.07.2007 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी। तदनुसार संकल्प ज्ञापांक 9260 दिनांक 13.09.2007 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 2891 दिनांक 27.09.2008 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री कुमार से प्राप्त कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कुमार को निम्न दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया :–

(i) निदंन (वर्ष–2005–2006)।

(ii) तीन वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड।

उक्त विनिश्चित दंड पर विभागीय पत्रांक–6528 दिनांक 07.07.2009 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की माँग की गयी। आयोग से प्राप्त परामर्श की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप गम्भीर प्रकृति के होने एवं जाँच के क्रम में प्रमाणित पाये जाने के कारण संविधान के अनुच्छेद–323 (2) के प्रावधानानुसार बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से असहमत होते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3499 दिनांक 19.04.2010 द्वारा श्री उपेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक–846/2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरौनी, बेगूसराय के विरूद्ध निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया :–

(i) निदंन (वर्ष–2005–2006)।

(ii) तीन वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–17748/2010 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2018 को पारित न्यायादेश में श्री कुमार के विरूद्ध संसूचित दंड संबंधी आदेश (संकल्प ज्ञापांक–3499 दिनांक 19.04.2010) को निरस्त कर दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

"At this juncture, the learned counsel for the petitioner submits that the B.P.S.C has also not granted concurrence to the punishment which has been inflicted vide order dated 19.04.2010 except the punishment of stoppage of two annual increments with non-cumulative effect.

For the reasons mentioned herein above, the writ petition is allowed and the order of punishment dated 19.04.2010 is quashed."

उक्त पारित न्यायादेश (दिनांक 03.08.2018) के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एल0पी0ए0 दायर करने के बिन्दु पर परामर्श हेतु संचिका विधि विभाग, बिहार, पटना को पृष्ठांकित की गयी। विधि विभाग द्वारा विषयांकित वाद में एल०पी०ए० दायर नहीं करने का परामर्श दिया गया। इस बीच श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में विषयांकित वाद में दिनांक 03.08.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु अवमाननावाद सं०–866/2019 दायर किया गया। वर्णित स्थिति में सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०–17748/2010 में पारित आदेश के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध अधिरोपित एवं संसूचित दंड (यथा (i) निदंन (वर्ष–2005–2006)। (ii) तीन वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक) संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3499 दिनांक 19.04.2010 को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतएव श्री उपेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक–846/2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरौनी, बेगूसराय के विरूद्ध अधिरोपित एवं संसूचित दंड (यथा (i) निदंन (वर्ष–2005–2006)। (ii) तीन वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक) संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3499 दिनांक 19.04.2010 को निरस्त किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं0 08/आरोप–01–66/2016 सा0प्र0–4523
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
2 अप्रील 2019

श्री बिन्देश्वरी प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–424/2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास (मधुबनी) के विरूद्ध इन्दिरा आवास आवंटन में अनियमितता बरतने संबंधी माननीय लोकायुक्त कार्यालय में दायर वाद संख्या–01/लोक(पंचायत) 155/10 में दिनांक 07.02.2018 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प

ज्ञापांक–5292 दिनांक 18.04.2018 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबित किया गया। तत्पश्चात विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5333 दिनांक19.04.2018 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री प्रसाद के बचाव बयान की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15225 दिनांक 22.11.2018 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबन मुक्त किया गया। तदोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1113 दिनांक 25.01.2019 द्वारा श्री प्रसाद को निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया –

(I) प्रोन्नति पर रोक।

(II) संचयी प्रभाव से कालमान वेतन में एक प्रक्रम पर अवनति।

3. श्री प्रसाद द्वारा अभ्यावेदन (दिनांक 10.01.2019) समर्पित करते हुए निलंबन अवधि दिनांक 18.04.2018 से दिनांक 22.11.2018 तक की अवधि को सेवा की निरंतरता हेतु विनियमित करने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में समीक्षोपरांत श्री प्रसाद के निलंबन अवधि दिनांक 18.04.2018 से दिनांक 22.11.2018 तक के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया है:–

''श्री प्रसाद के निलंबन अवधि (**दिनांक 18.04.2018 से दिनांक 22.11.2018 तक)** में उन्हे जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि पेंशन के प्रयोजनार्थ गणना की जाएगी।''

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 4–571+10–डी0टी0पी0।
Website : http://egazette.bih.nic.in